Form No. III 2022/342

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना

किस्त मुकदमा महेश बनाम रमन सिंह वगैरह

नं. 154/2022 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/6/22	फर्द दर्ज रजिस्टर हो प्रति वादीगण को जरिए तमन्ना दर्ज कर प्रकरण दिनांक 14/11/22 को पेश हो।	
14/11/22	पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित है पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/2/23 को पेश हो। रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	
3/8/23	प्रकरण आज स्थल वादी/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण तारीख पेशी से स्थल तलब किया। वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अब वादी उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है वाद वादी [illegible] किए जाने का निवेदन [illegible] वादी को पुनः वादी [illegible] के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] इसी तरह स्वीकार किया जाता है प्रकरण फौजदारी होकर नथी से समाप्त हो। दाखिल दफ्तर हो।	Adjustified by me

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2023.02.16 15:03:29 IST
Reason: SelfAttested